संख्या: 75 /2026/1684/कृशिअ-67-1002(003)/1/2025
Com.No 1892465

प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग **लखनऊ: 14 अगस्त, 2026**

विषय:-चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में परिसर में विभिन्न पुरानें भवनों की विभिन्न स्थानों पर विद्युत वायरिंग का नवीनीकरण एवं फीडर पिलर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित धनराशि की तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक:वीसी-152/निर्माण/2026, दिनांक 18.07.2026 का संदर्भ ग्रहण करने कर कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में परिसर में विभिन्न पुरानें भवनों की विभिन्न स्थानों पर विद्युत वायरिंग का नवीनीकरण एवं फीडर पिलर की स्थापना हेतु प्रावधानित /शेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में परिसर में विभिन्न पुरानें भवनों की विभिन्न स्थानों पर विद्युत वायरिंग का नवीनीकरण एवं फीडर पिलर की स्थापना हेतु आंकलित लागत रू0 294.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या:8/2025/3212522(1)/कृशिअ-67-1002(003)/1/2025, दिनांक 13.02.2025 एवं परियोजना की उक्त आंकलित लागत रू0 294.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में परियोजना की टेण्डर कास्ट की वास्तवित लागत रू0 293.06 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित धनराशि रू0 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या:24/2026/450/कृशिअ-67-1002(003)/1/2025, दिनांक 07.03.2026 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू.50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. प्रायोजना हेतु निर्गत शासनादेश संख्या:8/2025/3212522(1)/कृशिअ-67-1002(003)/1/2025, दिनांक 13.02.2025 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. प्रायोजना प्रस्ताव का गठन लोक निर्माण विभाग की अद्यतन अनुसूची दरों पर की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्यमदें जो लोक निर्माण विभाग की अनुसूची दरों एवं डी0एस0आर0 में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें बाजार/कोटेशन के आधार पर किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
5. जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था का होगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत की मात्राओं को अनुमोदित किया गया है, आगणन में प्रस्तावित कार्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विश्वविद्यालय का होगा।
7. आगणन में प्राविधानों को यथावत मानते हुए प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित हो।
9. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय/ कार्यदायी संस्था की होगी।
11. प्रयोजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ किये जाने के पूर्व विद्युत सुरक्षा विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जाय।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण अनुमोदित कार्ययोजना एवं मद में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
14. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/सामग्रियों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, एवं मध्यम उद्यम विभाग इस संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेंट मैनुअल प्रोक्योरमेंट आफ गुड्स 2026 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।
15. उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था से निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करके कुलपति द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाए जाने पर उपभोग प्रमाण पत्र पर अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को उपलब्ध करायेगें।
16. उक्त अनुदान का देयक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति और अर्थ नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा। देयक को जिलाधिकारी, कानपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा इसका भुगतान किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों/ प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 4415802773108 विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न पुरानें भवनों की विभिन्न स्थानों पर विद्युत वायरिंग का नवीनीकरण एवं फीडर पिलर की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक -28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज/लखनऊ ।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4. अर्थ नियंत्रक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
5. सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लि0 लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।